

क. 16/6/20... पत्रावली राज्य सरकार व
 मण्डल के द्वारा जारी आदेशानुसार नियत
 तिथि से पूर्व तय्यारी की गई। सम्बन्धित पक्षकारों को
 नोटिस जारी किये जा चुके हैं। उक्त अधिभाषकगण
 को सूचित किया जाकर पत्रावली नियत तिथि से पूर्व
 दिनांक 21/6/23 को कोर्ट के सम्मुख पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
 अंराई

21/06/2023 पत्रावली कोर्ट के सम्मुख अंराई में पेश हुई। प्रार्थी रतन द्वारा
 एक सा. पत्रवाली प्रकरण को राजीनामा ले मिस्तारित
 (विडोल) प्रकरण के बावत पेश जो शा. मि. अके अधिभाषक
 अनुपमिन्द्रों पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक
 28/07/2023 को पुनः उपखण्ड अंराई में पेश की

उपखण्ड अधिकारी
 अंराई (अजमेर)

28.07.23 वादी अक्रि० 390) प्रती० अक्रि० दिनांक
 28.06.23 को वादी रतन लाल द्वारा राजस्व-
 विधि के प्रकरण को राजीनामा द्वारा
 धार्मिक प्रकरण में महावीर पुरा द्वारा द्वारा
 राजीनामा अक्रि० 14/01/2020 को अंराई में
 अक्रि० 118 वादी 2 कोर्ट से युक्त है। चतः
 स्थिति स्पष्ट हेतु वादी 1 को नोटिस जारी।
 पत्रावली दिनांक 28.08.23 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
 अंराई (अजमेर)

25/8/2023 C.No. 266/2020(102/19) अनवान रतन प/स लक्षण
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपमिन्द्र वकील प्रार्थी
 को एक एक कर तीन बार आवक लगवाये गये। अनुपमिन्द्र
 अनुपमिन्द्रों ना ही प्रार्थीग उपस्थित हैं। अतः प्रार्थीना
 प्रार्थीग पत्र रण लक्षण अक्रि० 118 अक्रि० 118 में
 स्थापित किया जाता है। या पत्र पेश कर भुगत हेतु
 नमूदा लेना है।

उपखण्ड अधिकारी
 अंराई (अजमेर)

